न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 90/2016 (उदयपुर डिक्री)

1. श्री रमेशचन्द शर्मा पिता श्री जगन्नाथ शर्मा निवासी केदारिया तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री शिवनारायण पिता श्री भेरूलाल शर्मा निवासी केदारिया तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री जयशंकर पिता श्री हुडीलाल जी शर्मा निवासी केदारिया तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
3. श्री चन्द्रप्रकाश पिता श्री गोवर्धनलाल शर्मा निवासी केदारिया तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
4. श्रीमती बसन्ती बाई पत्नी श्री रमेशचन्द्र जी शर्मा निवासी केदारिया तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
5. श्री मांगीलाल पिता श्री भागीरथ जी शर्मा निवासी केदारिया तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
6. श्री उदयलाल पिता श्री भेरूलाल जी शर्मा निवासी केदारिया तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
7. श्री भगवान पिता श्री गंगाराम जी शर्मा निवासी केदारिया तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
8. श्री भवानीशंकर पिता श्री लक्ष्मण शर्मा निवासी केदारिया तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
9. श्री राजेश पिता श्री किशनलाल जी शर्मा निवासी केदारिया तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
10. श्री गणपतलाल पिता श्री रतनलल जी शर्मा निवासी केदारिया तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
11. श्री रतनलाल पिता श्री किशनलाल जी शर्मा निवासी केदारिया तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)

12. श्री गोवर्धनलाल पिता श्री रतनलाल जी शर्मा निवासी केदारिया तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
13. श्री गोपाल पिता श्री शंकरलाल जी शर्मा निवासी केदारिया तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
14. श्री मुकेश पिता श्री गिराजाशंकर जी शर्मा निवासी केदारिया तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर जिला उदयपुर

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक
कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दि0 14–6–2016 प्रकरण
संख्या 402/2013 वाद

————

उपस्थित :–1–श्री मनीष मोगरा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री सजय बोहरा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 14
3– राजकीय अधिवक्ता श्री पंकजा भटनागर

————/————

निर्णय **दिनांक 19–12–2017**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट द्वारा प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध धारा–53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम केदारिया में वादपत्र की कलम संख्या–1 अनुसार विवादित आराजीयात स्थित होकर वादी व प्रतिवादी पक्षकारान के संयुक्त खाते में दर्ज है। जिसका विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतएव मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा किया जाय तथा स्थाई निषेघाज्ञा दिलवाई जाय।

प्रकरण में दिनांक 23–6–2014 को प्रतिवादी द्वारा सहमति दी गई तथा दिनांक 31–7–2014 को प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई तथा विवादित आराजीयात का मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारे का विस्तृत आदेश जारी किया गया तथा आश्चर्यजनक रूप से पत्रावली को फैसल शुमार कर दिया गया। आदेशिका दिनांक 8–9–2014 को तहसीलदार

भीण्डर को प्रारम्भिक डिक्री पालना रिपोर्ट के लिए लिखे जाने के बाद पत्रावली दिनांक 24–9–2014 को पेश होने का अंकन है। पत्रावली दिनांक 24–9–2014 को नहीं होकर 1 वर्ष 8 माह बाद दिनांक 10–5–2016 को पेश होती है तथा पत्रावली को कैम्प बांसड़ा में रखे जाने हेतु पक्षकरान को सूचित किये जाने का आदेश होता है। दिनांक 14–872016 को प्राप्त विभाजन प्रस्तावों के आधार पर अंतिम डिक्री पारित कर दी जाती है।

उक्त अंतिम डिक्री दिनांक 14–9–2016 से रूष्ट होकर अपीलान्ट वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 30–8–2016 को पेश की गई।

अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन भी पेश हुआ है, जिसमें अपीलान्ट को सूचित किये बिना तथा सुने बिना निर्णय पारित किये जाने के कारण मयाद कण्डोन किये जाने का निवेदन किया। ताईद में शपथ पत्र भी दिया है। अखण्डित शपथ पत्र में वर्णित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 14 की और से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा ने उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–15 की और से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने की प्रार्थना की, वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय का निर्ण्य सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकारों की संख्या 15 के स्थान पर 47 भू–खण्ड बनाकर अलग–अलग टूकड़ों के रूप में विभाजन कर दिया है। अपीलान्ट वादी को कैम्प की सूचना भी नहीं दी गई है, न ही विभाजन के समय उसे सुना गया

है अथवा न ही उसकी आपत्तियां ली गई है। तहसीलदार स्वयं द्वारा बंटवारा नहीं किया गया है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री के क्रम में तहसीलदार स्वयं द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किये गये है तथा विभाजन से पूर्व अपीलान्ट वादी को सुने बिना व सूचित किये बिना विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये है तथा पुनः अपीलान्ट को सुने बिना व सुचित किये बिना एवं उसकी आपत्तियों को प्राप्त करने का अवसर भी उसे नहीं दिया गया है।

उपरोक्तानुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होकर तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 14–6–2016 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि प्रकरण में तहसीलदार स्वयं को निर्देशित करे कि वे स्वयं सभी पक्षकारों को सूचित कर मौके पर मिट्स एण्ड बाउण्ड राजस्थान काश्तकारी विभाजन नियम के नियम–18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव अधिनस्थ न्यायालय में प्रेषित करे तथा अधिनस्थ न्यायालय उभयपक्षों को पुनः सुनकर तथा आपत्तियां यदि प्राप्त होती है, तो उनका विधिक निस्तारण कर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 20–2–2018 को उपस्थित होवें।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19–12–2017 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ. .....मुकाम .....
उदयपुर व इजलास ..... एल.एन. मंत्री आर.ए.एस. .....

1–श्री नका पिता काना पारगी भील निवासी वागड़ा तहसील झाड़ोल जिला उदयपुर व अन्य–5	बनाम	**श्री नानालाल पिता रामा जी भील निवासी वागड़ा तहसील झाड़ोल जिला उदयपुर**

अपील नं0 **43/2014** बनाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी** .....**झाड़ोल** .....मुकाम मुक्र्खे.....**14**.....माह.....**05**.....**2014**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**09**..... माह .....**11**..... सन् .....**2017** .....रूबरू . .....पक्षकारान व हाजरी .....**श्री सुरेश त्रिवेदी** ..... मिनजानिब अपीलान्ट व . .....**श्री मनीष शर्मा** ..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 14–5–2014 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**09**..... माह .....**11**..... **2017** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।